न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/04/2022

वउनवान

1- प्रीतम पुत्र हरचन्द जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

2- महेश पुत्र हरचन्द जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

3- दशरथ पुत्र हरचन्द जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

4- रामहेत पुत्र हरचन्द जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

5- राजू पुत्र हरचन्द जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

6- फूला बेवा पुत्री हरचन्द जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

7- उर्मीला पुत्री हरचन्द स्त्री महरसिंह जाति माली हालवासी ग्राम सुन्हैडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भौमसिंह पुत्र मवासी जाति माली निवसी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
2. देवीराम पुत्र मवासी जाति माली निवसी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
3. रामकिशन पुत्र मवासी जाति माली निवसी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
4. सोमौती बेवा मवासी जाति माली निवसी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

27.12.23

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

5. गुड्डी पुत्री मवासी स्त्री तिलक जाति माली निवसी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
6. महेन्द्र पुत्र बनवारी माता सुगनी उम्र 17 वर्ष नाबालिग जाति माली निवसी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
7. कन्हैया पुत्र बनवारी माता सुगनी उम्र 15 वर्ष नाबालिग जाति माली निवसी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
8. सविता पुत्री बनवारी माता सुगनी उम्र करीब 16 वर्ष नाबालिग जरिये सरपरस्त बनवारी पुत्र दुर्गा जाति माली निवासी नंगली तन अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।
9. गंगाराम पुत्र छोटेलाल जाति अहीर निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
10. श्रीपाल पुत्र छोटेलाल जाति अहीर निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

—असल अप्रार्थीगण

11. औमप्रकाश पुत्र प्यारेलाल जाति ब्राहमण निवासी रामबास
12. सतीशचन्द पुत्र प्यारेलाल जाति ब्राहमण निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर
13. प्रकाश पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी मूण्डपुरीखुर्द
14. कमल पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी मूण्डपुरीखुर्द
15. श्रीचन्द पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी मूण्डपुरीखुर्द
16. पप्पू पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी मूण्डपुरी खुर्द
17. सुरेश पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी मूण्डपुरीखुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर
18. सोनल पुत्र किशनलाल पत्नी कमल जाति माली निवासी मूण्डपुरीखुर्द हालवासी लोधिया का नंगला भरतपुर (राज0)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर गोविन्दगढ जिला अलवर

—तरतीवी अप्रार्थीगण

27.12.23
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थित–

श्री अमृतलाल सैनी – अधिवक्ता प्रार्थीयान
श्री मुरारी लाल यादव – अधिवक्ता अप्राथीयान

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज.)

निर्णय दिनांक 27.12.2023

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 1.2100 है0 वाके ग्राम मूण्डपुरी खुर्द तह0 गोविन्दगढ़ में स्थित है। जो प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है जिस आराजी में प्रार्थीगण के पिता का 167/363 हिस्सा है व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 11 का 25/242 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 12 का 25/242 तथा अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 18 का 1/3 हिस्सा है तथा मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे है मौके पर सभी हिस्सेदारान ने घरेलू बटवारा कर रखा है जिस पर प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है मुताबिक घरेलू बटवारे खसरा नंबर 95 के पूर्वी भाग पर प्रार्थीगण का कब्जा है प्रार्थीगण के पिता हरचन्द पुत्र पूरना फौत हो गए है एवं मृतक हरचन्द के वारिसान द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है

आराजी खसरा नंबर हाल 90 रकबा 0.3500 है0 वाके ग्राम मुण्डपुरी खुर्द मवासी पुत्र सोहन लाल माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो मवासी भी फौत हो गया है जिसके वारीसान का विरासत इंतकाल अभी तक दर्ज व तसदीक नहीं हुआ है। खसरा नंबर हाल 94 रकबा 0.43 वाके ग्राम मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ में स्थित है जो आराजी असल अप्रार्थीगण 9 लगायत 10 कब्जे काश्त की आराजी है। आराजी खसरा नंबर हाल 211 वाके ग्राम मुण्डपुरी खुर्द में स्थित है जो गै0मु0 सडक है जो स्टेट हाईवे गोविन्दगढ से जालूकी को आता है। ताईद में नकल जमाबन्दी हाल खसरा नंबर 211, 90, 94 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

प्रार्थीयान की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 95 के आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 211 गै0मु0 सडक से होकर 90 व 94 में उत्तर से होकर खसरा नंबर 95 को 12 फुट

27.12.23
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

चौडा रास्ता आता जाता है। जिस रास्ते को पेश नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया जा रहा है तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीयान की आराजी तक पहुंचने हेतु कोई अन्य रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण असल अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते में आवागमन खेत जोतकर व फसल बोकर बंद कर देते है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर हाल 95 वाके ग्राम मुण्डपुरी खुर्द के लिए आने जाने हेतु 12 फुट चौडा रास्ता खसरा नंबर 90 व 95 वाके ग्राम मुण्डपुरी खुर्द में से मुताबिक नक्शा तरफ उत्तर से होकर दिलाया जावे बदले में असल अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के बदले डी.एल.सी. रेट के दुगुना राशि बटोर क्षतिपूर्ति दिलवाई जावे एवं रास्ते को हाल नक्शा ट्रेस में दर्ज कराया जावे

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 , 11, 12 व 18 बावजूद तामिल के न्यायालय में हाजिर नही हुए उनके विरूद्ध दिनांक 14.06.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 17 हाजिर हुए । वे जवाब पेश नही करना चाहते है।

अप्राथी संख्या 9 व 10 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पेश कर कथन किया कि यदि प्रार्थीगण रास्ते की जमीन बाबत हमें डी. एल. सी. दर का डबल राशि देते है तो रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज जावे।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रमुख रूप से वर्णित किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जिम्मन नं0 1 में खसरा नंबर 95 के संबंध में बटवारा का तथ्य गलत है बटवारे के संबंध में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रार्थीगण के पास है तो उसे पेश करवाया जाए प्रार्थीगण द्वारा जो नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस पेश किया है व जिम्मन नं0 1 में वर्णित कथनों को समर्थन नहीं करते है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 इस हद तक स्वीकार किया है कि मवासी का स्वर्गवास हो गया है प्रार्थीगण ने मवासी का सजरा अधुरा दर्ज किया है नाबालिग वारिसान की तरफ से न्यायालय लीगल गारजियन नियुक्त करवाया जावे प्रार्थना पत्र के जिम्मन नंबर 3 व 4 सही व स्वीकार है प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 5 गलत है स्वीकार नहीं है खसरा नंबर 90 में होकर खसरा नंबर 95 में

27.12.23
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

कोई चालू रास्ता नहीं रहा है वर्तमान में खसरा नंबर 94 में पूरे खेत में गेहूं की काश्त बोई हुई है। प्रार्थी द्वारा नक्शें में बैरंग सुर्ख रास्ते को गलत रूप से दर्ज किया गया है प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 6 गलत है स्वीकार नहीं है खसरा नंबर 94 से कभी भी रास्ता खसरा नंबर 95 में नहीं गया है प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 7 गलत है स्वीकार नहीं है। अन्य रास्ता मौके पर है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 8 गलत है स्वीकार नहीं है मौके की रिपोर्ट मंगवाई जावे तथा मौजूदा प्रार्थना पत्र .चलाने योग्य नहीं है तथा खारिज फरमाया जावे प्रार्थना पत्र का जिममन नंबर 09 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है प्रार्थी को दिनांक 10.06.2022 से कोई विनय मुखास्मत पैदा नहीं होती है विनायदावी के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 10 व 11 कानूनी है गौर न्यायालय श्रीमान है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 12 बिल्कुल गलत है खारिज फरमाया जावे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार गोविन्दगढ से रिपोर्ट तलब की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार गोविन्दगढ़ के अनुसार ग्राम मुण्डपुरी खुर्द के आ0ख0नं0 95 के लिए चाहा गया रास्ता लघुतम है जो कि आ0ख0नं0 90 व 94 में चाहा गया रास्ता ही लघुतम है लघुत्तम रास्ते हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है व राजस्व रिकॉर्ड में भी कोई रास्ता दर्ज नहीं है, वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी. दर जो कि एस0एच हाईवे से लगता हुआ है 2122325 रूपए प्रति है0 है आ0ख0नं0 90 में से मांगा गया रास्ता जो कि 12 फीट (3.66 मी0) चौडा है व 45.5 मी0 लंबा है जिसका कुल रकबा 0.0155 है0 है खसरा नंबर 94 का 57.5 मी0 लंबा व 3.66 मी0 चौडाई के अनुसार रकबा 0.02104 है0 है आ0ख0नं0 का रकबा 0.0155 है0 की डी.एल.सी. 2122325 रूपए प्रति है0 से 32896 रूपए कीमत बनती है तथा खसरा नंबर 94 के रकबा 0.0210 है0 की डी.एल.सी. दर 2122325 रूपए प्रति है0 से 44568 रूपए कीमत बनती है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय प्रार्थीगण की जमाबन्दी में मृतक हरचन्द का नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

होने से प्रार्थना पत्र के तथ्यों को उसी अनुसार लिखा गया था एवं नामान्तकरण विरासत प्रक्रियाधीन था अब मृतक हरचन्द के वारिसान के नाम विरासत नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार हो चुका है (जमाबन्दी की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है) इसलिए प्रार्थना पत्र के तथ्यों को इसी अनुरूप पढ़ा जाकर नियमानुसार रास्ता प्रदान करवाया जावे अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे आराजी के किस हिस्से पर काबिज है और वह खेती या आबादी के लिए किस प्रयोजन के लिए रास्ता चाह रहा है अन्य सहखातेदारों के प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाने पर भी आपत्ति की गई है एवं यह कथन किया है कि प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है।

प्रकरण में पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत लगाया गया प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है किसी एक खातेदार द्वारा रास्ता चाहने पर अन्य सहखातेदारों पक्षकार बनाया जावे यह अनिवार्य नहीं लगता है। प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि आ0ख0नं0 95 वाके ग्राम मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर में आवागमन हेतु सडक तक जाने के लिए आ0ख0नं0 90 एवं 94 में उत्तरी मेड से होता हुआ 12 फीट रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार गोविन्दगढ की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के लिए यह लघुत्तम मार्ग है एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण 9 एवं 10 जो कि आ0ख0नं0 94 के खातेदार है ने दिनांक 18.12.2023 को इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वे अपने खेत से होकर वांछित रास्ता बिना कीमत के देने को तैयार है इस प्रकार यह और भी उपर्युक्त प्रतीत होता है प्रार्थीगण को आ0ख0नं0 94 व 90 से होकर उसके खसरा नंबर 95 तक आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कर दिया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की मंशा भी यही है कि काश्तकारों को अपने खेत तक आवागमन हेतु रास्ता प्रदान करवाया जावे। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को अपनी आ0ख0नं0 95 तक कृषि प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु आ0ख0नं0 90 एवं 94 के उत्तरी दिशा से लगता हुआ 12 फीट चौडा रास्ता निम्न नजरी नक्शा के अनुसार गै0मु0

27.12.23
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

रास्ता के रूप में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज किया जावे इस हेतु प्रार्थीगण आ0ख0नं0 90 के खातेदारों को रास्ते में गए रकबे में उनके रकबे के हिस्सानुसार नियमानुसार राशि प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे एवं आ0ख0नं0 94 के खातेदारों ने बिना कीमत रास्ता प्रदान करने पर सहमति दी है। तहसीलदार गोविन्दगढ प्रार्थीगण द्वारा आ0ख0नं0 90 के खातेदारों को नियमानुसार कीमत भुगतान करने के उपरान्त इस आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शे में अमल किया जाना सुनिश्चित करें।

• आदेशित रास्ते का नज़री नक्शा

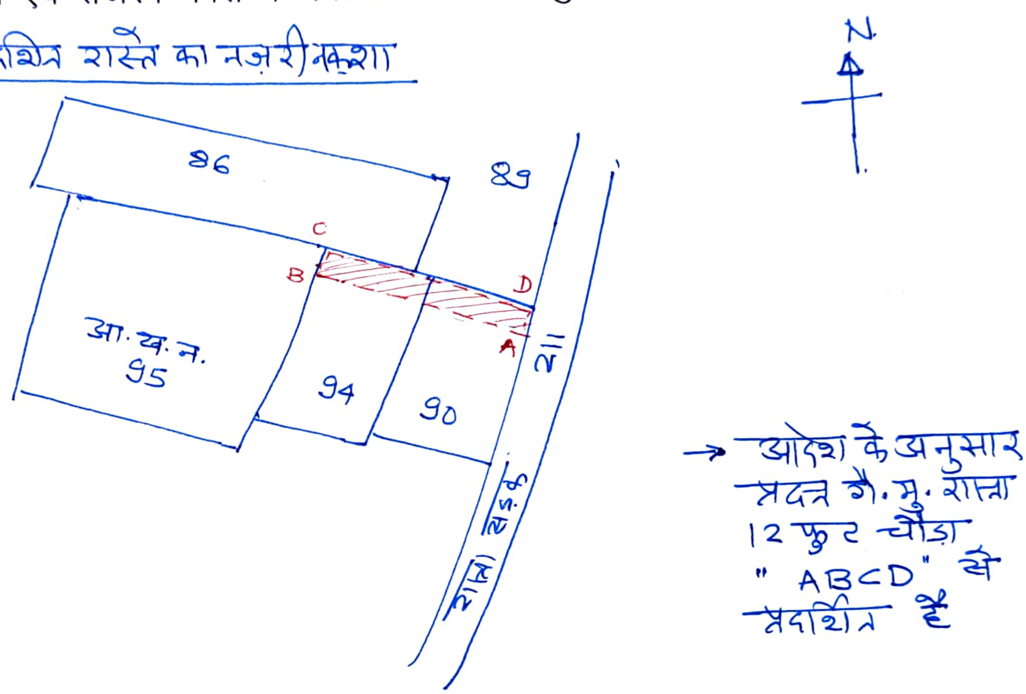

यह निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामिल तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

27.12.23

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)